

ग्राम कार्य योजना (डी.ए.पी.)

जल संवर्धन जो सही गतिविधियों की प्रस्ताव करता जो ग्राम सभाग के "जीवन सुधारण" को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम सभाग और/या इसकी उप-समिति, अथवा डी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/पुशिका सभाग और ग्राम सभाग की ओर डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किया जाना है एवं ग्राम सभाग में अनुमोदन की जाती है। आई.एस.ए.ए. में ग्राम आरक्षण संश्लेषण प्रदान की जाती है।)

1. नैसर्गिक की नदी-

ग्राम सभाग में अनुमोदन की नदी-

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की नदी-

2. ग्राम का नाम एवं जनगणना कोड-

ग्राम सभाग का नाम- 1111111111 लोक का नाम- 1111111111

ग्राम का नाम- 1111111111

3. ग्राम सभाग की आवासीय

(संख्या) ग्रामीण कुटीरों की और

ग्रामीण परिवारों की उपलब्ध करावें के लिए एक.एच.डी.सी. प्रदान करना

अपूर्ति करने सहित परिचित निवास पर अर्थात् एवं निर्धारित गुणवत्ता वाले पानी को जल के अपूर्ण एवं

तक, ग्राम सभाग के लोग, अथवा जल आपूर्ति अवसंरचना के अदृश्य, प्रथम, प्रथम और स्व-स्वयं की निश्चिन्ता लेते हैं।

एक अपूर्ण भीठे पानी को संचालित और अपूर्ण भीठे पानी को संचालित करने के लिए संचालित किया जाएगा

अपूरण पर प्रभावित है कि पूजा लागत का % प्रदान और रख रखाव लागत के परिष्कारित हिस्से का अनुमान किया जाएगा

अपूरण की गुणवत्ता का प्रमाण पर पी.एच., डी.टी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा

11 ग्राम सभाग और या इसकी उप समिति) - उप समिति

समिति को क्या करना है - ग्राम सभाग एवं स्वच्छता समिति

अवस्था का नाम- श्री/श्रीमती विना-पुरुष/महिला आय- आय-

क्र.सं.	सदस्य का नाम	लिंग	आय
1.	श्री/श्रीमती	पुरुष	46
2.	श्री/श्रीमती	पुरुष	32
3.	श्री/श्रीमती	पुरुष	32
4.	श्री/श्रीमती	पुरुष	35
5.	श्री/श्रीमती	पुरुष	34
6.	श्री/श्रीमती	पुरुष	25
7.	श्री/श्रीमती	पुरुष	40
8.	श्री/श्रीमती	पुरुष	31
9.	श्री/श्रीमती	पुरुष	35
10.	श्री/श्रीमती	पुरुष	40
11.	श्री/श्रीमती	पुरुष	34
12.	श्री/श्रीमती	पुरुष	38
13.	श्री/श्रीमती	पुरुष	30
14.	श्री/श्रीमती	पुरुष	45
15.	श्री/श्रीमती	पुरुष	33

III. सामान्य विवरण

2011 की जनगणना के अनुसार

संशोधन प्रयास/अनुसंधान/पिकाई के अनुसार

ग्राम सभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत के नाम

पुंजी

पुंजी

